

THINK IAS

JOIN SAMYAK

*Samyak*

An Institute For Civil Services

DAILY

CURRENT नामा

03 अक्टूबर 2024

📞 9875170111

📍 SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

## समाज

### 1. प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया- पीआईबी

- 2 अक्टूबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के विकास को सशक्त बनाना है।
- साथ ही, प्रधानमंत्री ने 40 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का उद्घाटन किया और पीएम-जनमन के तहत अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ-साथ 25 नए स्कूलों की आधारशिला रखी।

### धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान »

- **उद्देश्य:** भारत भर के आकांक्षी जिलों में अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सशक्त बनाना। साथ ही, इस योजना का उद्देश्य 17 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित 25 गतिविधियों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आजीविका में सुधार करना है।
- **लक्ष्य अवधि:** अगले 5 वर्ष।
- **परिव्यय:** 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये, राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये)
- **कवरेज:** 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63,843 गांव; 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ।

अनुसूचित जनजाति की आबादी का घनत्व जहां 90% या अधिक है

यह स्कूल छात्रों को दिन में शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें आवासीय सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती।

वर्ष 2022 तक 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पास एक ईएमआरएस होगा।

इस पहल में एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) और खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना भी शामिल है।

प्रत्येक विद्यालय में 480 छात्रों की क्षमता

एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस)

विस्तार की योजना:

छात्र क्षमता:

लॉन्च वर्ष:

1997-98

उद्देश्य:

दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।

लक्ष्य आबादी:

दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के बच्चे

अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के अलावा अन्य बच्चे:

उन्हें इन स्कूलों में कुल सीटों के 10% तक सीटों पर प्रवेश दिया जा सकता है।

कक्षा:

कक्षा छठी से बारहवीं तक



## 2. सरकार के पहले 100 दिनों में एक नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दी गई है - पीआईबी

सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में 'जल ही अमृत' योजना को मंजूरी दी है।

### 'जल ही अमृत' योजना >>

- **लॉन्च:** अमृत 2.0 के तहत।
- **उद्देश्य:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपयोग किए गए जल उपचार संयंत्रों (यूडब्ल्यूटीपी/एसटीपी) को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और पुनः उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **फोकस:** शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण तथा उपचारित अपशिष्ट जल निर्वहन में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना।
- **मूल्यांकन:** अंतिम मूल्यांकन में स्वच्छ जल क्रेडिट (3 से 5 स्टार रेटिंग) प्रदान किया जाएगा, जो छह माह के लिए वैध होगा।



### अमृत 2.0 >>

- **अवधि:** 2021-22 से 2025-26
- **उद्देश्य:**
  - वैधान ृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करना।
- **फोकस:** सिटी वाटर बैलेंस प्लान (सीडब्ल्यूबीपी) के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसमें उपचारित सीवेज का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग, जल निकायों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण शामिल है।

## राज्यवस्था

### 3. राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून - इंडियन एक्सप्रेस

- उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए ग्राहकों के सामने "संचालक, मालिक, प्रबंधक और अन्य संबंधित कर्मियों" के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।
- जुलाई में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के संबंध में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस द्वारा पारित इसी तरह के आदेशों पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006 के तहत केवल सक्षम प्राधिकारी ही ऐसे निर्देश जारी कर सकता है।

इसे खाद्य उद्योग को विनियमित करने और जनता को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

नियमों के अनुसार खाद्य संचालकों को, चाहे वे छोटे पैमाने के विक्रेता हों या बड़े प्रतिष्ठान, FSSAI से पंजीकरण कराना होगा या लाइसेंस प्राप्त करना होगा। नियमों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि संचालक अपने परिसर में अपना पंजीकरण या लाइसेंस से प्रदर्शित करें।

छोटे खाद्य उत्पादकों (हॉकर, विक्रेता और छोटे खाद्य व्यवसाय) को FSSAI के साथ पंजीकरण कराना होगा और अपने प्रतिष्ठान में अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र और फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा।

बड़े पैमाने पर खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा और इसे अपने परिसर में प्रदर्शित करना होगा।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 63 के तहत, बिना लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय चलाने पर छह महीने तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

जुर्माना:

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) नियम, 2011:

भारत में खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006:

राज्य सरकार की शक्तियाँ

धारा 94: राज्य सरकारें खाद्य प्राधिकरण की स्वीकृति से खाद्य सुरक्षा विनियमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त नियम बना सकती हैं। हालाँकि, ऐसे नियमों को राज्य विधानमंडल के समक्ष "जितनी जल्दी हो सके" स्वीकृति के लिए रखा जाना चाहिए।

धारा 30: खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

विवरण:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI):

स्थापना:

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA), 2006 के तहत स्थापित महत्वपूर्ण कार्य: "सुरक्षित और पौष्टिक" भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों को कैसे संसाधित, वितरित, बेचा और आयात किया जाना चाहिए, इसकी निगरानी करना और इसपर नियम बनाना।

## 4. लड़ाख किस प्रकार का विशेष दर्जा चाहता है?

हाल ही में, सोनम वांगचुक ने लेह से दिल्ली तक एक पदयात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें लड़ाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी गई। छठी अनुसूची कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए शासन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह लड़ाख की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और स्थानीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है, जिनके पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ होंगी

प्रत्येक परिषद में न्यूनतम 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं तथा शेष स्थानीय जनता द्वारा चुने जाते हैं।

भूमि का प्रबंधन: भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित।

सामाजिक रीति-रिवाज: विवाह, उत्तराधिकार और सामाजिक प्रथाओं का विनियमन।

ग्राम परिषदें: ग्राम परिषदों की स्थापना और प्रबंधन।

विधायी शक्तियाँ: परिषद कई विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

परिषद द्वारा पारित कानून केवल जनजातीय क्षेत्रों में ही लागू होते हैं और उन्हें राज्य विधानमंडल से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

हालाँकि, उन्हें प्रभावी होने के लिए राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

अधिकार क्षेत्र:

छठी अनुसूची:

छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद

पाँचवीं अनुसूची से तुलना

पाँचवीं अनुसूची भारत के अन्य भागों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान करती है।

छठी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, क्योंकि स्वायत्त जिला परिषदों के पास अधिक कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं।

छठी अनुसूची का उद्देश्य

जनजातीय आबादी को स्वशासन की पर्याप्त स्वतंत्रता देकर उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक प्रथाओं और अधिकारों की रक्षा करना है।


छठी अनुसूची का विषय

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है।

## वैश्विक मामले

### 5. इजराइल-ईरान संघर्ष - द हिंदू

ईरान द्वारा इजरायल पर हमले के कारण मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक बाजार में उथल-पुथल मच गई है। यदि स्थिति बिगड़ती है, तो यह वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को काफी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक है।




## अर्थव्यवस्था

### 6. सेबी का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नियमों को मजबूत बनाने का फैसला, खुदरा निवेशकों की सुरक्षा का लक्ष्य - इंडियन एक्सप्रेस

- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) के नियमों को मजबूत करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधान 20 नवंबर 2024 से लागू होंगे। नये नियम अनुचित जोखिमों को न्यूनतम करने, बाजार स्थिरता बढ़ाने तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने पर केंद्रित हैं।

#### नियमों की आवश्यकता क्यों?

- डेरिवेटिव बाजार, खास तौर पर एफएंडओ में, छोटे शहरों में खुदरा निवेशकों का बढ़ता आकर्षण देखा गया है। इनमें से कई व्यापारियों को अत्यधिक जोखिम लेने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है।
- इसका प्रतिकार करने के लिए, सेबी ने न्यूनतम ट्रेडिंग राशि को बढ़ाने, इंड्राडे लीवरेज को कम करने और व्यवस्थित बाजार व्यवहार को बनाए रखने के लिए वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपाय शुरू किए हैं।
- इन परिवर्तनों का लक्ष्य शेयर बाजार में अस्थिरता को कम करना भी है।





## पर्यावरण

### 7. सरकार ने हाथियों की जनगणना पर अपनी रिपोर्ट छपी, फिर ठंडे बस्ते में डाल दी: 5 साल में गिनती में 20% की गिरावट - इंडियन एक्सप्रेस

भारत में हाथियों की घटती आबादी के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली एक सरकारी रिपोर्ट छपी थी, जिसमें पिछले पांच सालों में 20% की कमी दिखाई गई थी। लेकिन इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट में विकास परियोजनाओं से हाथियों की प्रजातियों को होने वाले खतरों की पहचान की गई है।



## 8. मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हर्पेटोफौना सर्वेक्षण में चार नई प्रजातियाँ पाई गईं - द हिन्दू

मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के भीतर सरीसृपों और उभयचरों - के सर्वेक्षण से 33 सरीसृपों और 36 उभयचरों की पहचान हुई है, जिन्हें पहली बार इस क्षेत्र में दर्ज किया गया।

### नई प्रजातियाँ

- **उभयचरों की दो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई गई हैं:** माइक्रिकसलस स्पेलुन्का (गुफा में नाचने वाला मेंढक) और निक्टिबैट्राचस इंद्रानेली (इंद्रानेली का रात्रि मेंढक)
- **उभयचरों की लुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई गई हैं:** स्टार-आइड बुश मेंढक, नीलगिरि बुश मेंढक और नीलगिरि वार्ट मेंढक।



### मुदुमलाई टाइगर रिजर्व

- **अवस्थिति:** तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का त्रि-जंक्शन।
- **शाब्दिक अर्थ:** मुदुमलाई का अर्थ है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला (65 मिलियन वर्ष पुरानी)।
- **सीमाएँ:** पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल) और उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व (कर्नाटक)।
- **पर्यटक आकर्षण:** थेप्पाकाडु हाथी शिविर।
- **वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय सदाबहार, नम पर्णपाती, सागौन के जंगल, घास के मैदान।
- **वनस्पति:** हाथी घास, बांस, और सागौन और शीशम जैसी लकड़ी की प्रजातियाँ।
- **जीव-जंतु:** हाथी, गौर, बाघ, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, जंगली सूअर, आदि।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

### 9. नए शोध से पता चलता है कि साइकेडेलिक दवाएं चिंता और अवसाद के उपचार के लिए क्यों उपयोगी हैं - इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में किए गए शोध में साइकेडेलिक्स, खास तौर पर सेरोटोनर्जिक, की चिंता और अवसाद जैसे लक्षणों को प्रभावी ढंग से कम करने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्ययन उन जटिल तंत्रों पर प्रकाश डालता है जिनके माध्यम से ये पदार्थ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जो चिंता और अवसाद के लिए लक्षित उपचार विकसित करने की दिशा में एक रास्ता सुझाता है।



यह पाया गया कि **DOI** विशेष रूप से **vHpc** में तीव्र गति से सक्रिय **PV**-पॉजिटिव इंटरियरनों को लक्षित करता है।

यह इन न्यूरोन्स पर **5-HT2A** रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे सक्रियता दर बढ़ जाती है और मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों में शांतिदायक संकेत भेजे जाते हैं।

यह तंत्र चिंता से जुड़े अतिसक्रिय तंत्रिका सर्किट को प्रभावी ढंग से शांत करता है, जिसके परिणामस्वरूप चिंता जैसे लक्षणों में कमी आती है।

भावनात्मक विनियमन के लिए महत्वपूर्ण मस्तिष्क का क्षेत्र। इसमें पार्वलब्युमिन (**PV**)-पॉजिटिव इंटर-न्यूरोन होते हैं, जो चिंता और तनाव को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं।

दवा कैसे काम करती है?

वेंट्रल हिप्पोकैम्पस (**vHpc**):

साइकेडेलिक्स और अनुसंधान

सेरोटोनर्जिक साइकेडेलिक्स:

साइकेडेलिक्स ऐसे पदार्थ हैं जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ अंतःक्रिया करके धारणा और मनोदशा को बदल देते हैं।

**5-HT2A** रिसेप्टर:

मूड और भावनात्मक नियंत्रण में शामिल एक महत्वपूर्ण सेरोटोनिन रिसेप्टर।

सामान्य उदाहरण:

**LSD**(लिसर्जिक एसिड डाइएथाइलैमाइड) और साइलोसाइबिन, जो मशरूम में पाया जाता है।

अनुसंधान के बारे में:

वैज्ञानिकों ने साइकेडेलिक **2,5-डाइमैथॉक्सी-4-आयोडोएम्फेटामाइन (DOI)** का उपयोग किया, जो चिकित्सा अनुसंधान में अपने अनुप्रयोग के लिए जाना जाता है।

## 10. पांच सौ मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप (फास्ट) - द हिन्दू

चीन ने विश्व की सबसे बड़ी एकल-डिश रेडियो दूरबीन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निर्माण के दूसरे चरण का कार्य शुरू कर दिया है।

### पांच सौ मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप (फास्ट)

- **विवरण:** चीन के गुडझोऊ प्रांत में स्थित यह रेडियो टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका ग्रहण क्षेत्र 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है।
- **आयाम:** 500 मीटर व्यास
- **उद्देश्य:**



- ब्रह्मांड के किनारे पर तटस्थ हाइड्रोजन का पता लगाना; प्रारंभिक ब्रह्मांड की छवियों का पुनर्निर्माण करना;
- पल्सर की खोज करना, पल्सर टाइमिंग सरणी स्थापित करना, और भविष्य में पल्सर नेविगेशन और गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने का प्रयास करना;
- खगोलीय पिंडों की अति सूक्ष्म संरचनाएं प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अति-दीर्घ-आधार रेखा इंटरफेरोमेट्री नेटवर्क से जुड़ना;
- उच्च-रिज़ॉल्यूशन रेडियो स्पेक्ट्रल सर्वेक्षण करना; | ○ कमज़ोर अंतरिक्ष संकेतों का पता लगाना;
- अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में भाग लेना।
- **क्रियाविधि:** यह अपने द्वारा उत्पन्न विशाल मात्रा में डेटा का प्रबंधन करने के लिए पर्थ, ऑस्ट्रेलिया स्थित ICRAR (अंतर्राष्ट्रीय रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र) तथा ESO (यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला) द्वारा विकसित डेटा प्रणाली का उपयोग करता है।